न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 37/15 निर्णय दिनांकः– 18–12–2019

1. जीवण खॉ पुत्र सगरखॉ जाति मुसलमान निवासी शेरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. श्रीमती नैनू पत्नी महासिंहदान
2. प्रहलदाराम
3. मनोहरदान
4. जामदान
5. उगमकंवर

पिसरान महासिंगदान जाति चारण निवासी चक 7 एएम तसहील कोलायत जिला बीकानेर।

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 06–03–1981
उपायुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितः–
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपायुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 06–03–1981 जिसके द्वारा अपीलांट् टीसी में आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम शेरूवालाके खसरा नम्बर 314 तादादी 37 बीघा भूमि का अपीलांट को बतौर बारानी आवंटन किया गया था तथा समय समय पर उसका नवीनीकरण भी किया जाता रहा है। उक्त भूमि चकबन्दी में चक 7

एएम के मुरब्बा नम्बर 53/4 के किला नम्बर 1 ता 15 के रूप में पैमूद हुई। उक्त भूमि का दिनांक 29–07–1981 तक नवीनीकरण किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट को नियमित की गई भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर पाकविस्थापित किया गया है। जबकि उक्त भूमि पूर्व से ही अपीलांट को आवंटित व आक्यूपाईड लैण्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बाले–बाले रूप से पारित किया गया है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हुए भी आवंटन अधिकारी द्वारा नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कूननी भूल कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बातया कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के आदेश के अनुसरण में नियमित की गई थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार के आदेशों की भी अवहेलना की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जब भूमि एक बार आवंटित व नियमित की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का किसी भी स्थिति में अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन अधिकारी द्वारा कानून व न्याय को ताक पर रखकर वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट को आवंटित करने में कानूनी भूल की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही आवंटन नियमों के विपरीत होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

उन्होंने मिंयाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2007 पेज 264, आरआरटी 2007 पार्ट II पेज 745, आरआरडी 1995 पेज 576, आरएलडब्ल्यू 2011 पार्ट I पेज 262, आरआरडी 1994 पेज 636, आरआरडी 1998 पेज 665, आरआरडी 2009 पेज 792 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि नहीं है।अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलाधीन आदेश के

दिन उक्त भूमि से अपीलांट का कोई हक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता स्व. महासिंगदान पुत्र राणीदान को चक 8 एएम के मुरब्बा नम्बर 53/4 के किला नम्र 1 ता 25 में 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को बतौर पाक विस्थापित आवंटित की गई थी। जिस पर आवंटन की दिनांक से रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता व उनके स्वर्गवास के उपरान्त रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट का स्वमेव कथन है कि अपीलांट को टीसी में आवंटित भूमि चक 7 एएम के रूप में पैमूद हुई है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है व आराजी जैर पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट्स को दिनाक 02–11–2004 को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में आवंटन की तमाम प्रकियाएँ पूर्ण हो चुकी है।

अपीलाधीन आदेश के समय अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं था। अपीलांट पात्रता से अधिक भूमि के आवंटन को निरस्त कराने की इस्तदुआ लेकर आया है। जबकि उक्त दिनांक को उसके कोई हित प्रभावित नहीं हो रहे थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील लोकर स्टेण्डाई पर खारिज की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–03–1981 के विरूद्व अपील दिनांक 03–04–2013 को पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई व मियांद बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–03–1981 के विरूद्व अपील दिनांक 03–04–2013 को करीब 32 वर्ष उपरान्त पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा मियांद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत दरख्वाश्त में अपील पेश करने में हुए 32 साल के विलम्ब का कारण प्रशासन गावों के संग अभियान 2013 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट का उक्त कथन 32 वर्ष उपरान्त करना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलांट द्वारा इतने लम्बे समय तक अपने टीसी आवंटन के संबंध में किसी प्रकार की कोई चाराजोई नहीं की गई है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अभिकथन किया गया है कि अपीलांट को ग्राम शेरूवाला के खसरा नम्बर 314 तादादी 37 बीघा भूमि टीसी आवंटित की गई थी जिसके चकबन्दी में आने पर उक्त भूमि चक 7 एएम के मुरब्बा नम्बर 53/4 के किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट् को चक 8 एएम के मुरब्बा नम्बर 53/4 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट रेस्पोडेन्ट के आवंटन से किस प्रकार व्यथित है साबित करने में असफल रहे है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने अधिकारी नहीं है।

8. अतः अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने तथा सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–03–1981 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 18–12–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 15:44:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: